

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक

29 AUG 2023

::अधिसूचना::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं दिनांक 04.02.1994 एवं 16.05.2016 की निरन्तरता में निम्नलिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों का उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम                                                                  | बैठक का स्थान | क्षेत्राधिकार         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1       | 2                                                                              | 3             | 4                     |
| 1       | अपर जिला न्यायालय, जायल जिला नागौर (मेड़ता न्यायक्षेत्र)                       | जायल          | स्थानीय क्षेत्राधिकार |
| 2       | अपर जिला न्यायालय संख्या 2, रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र) | रायसिंहनगर    | स्थानीय क्षेत्राधिकार |
| 3       | अपर जिला न्यायालय, फागी जिला दूदू (जयपुर जिला न्यायक्षेत्र)                    | फागी          | स्थानीय क्षेत्राधिकार |
| 4       | अपर जिला न्यायालय संख्या 2, खेतडी जिला नीम का थाना (झुंझुनू न्यायक्षेत्र)      | खेतडी         | स्थानीय क्षेत्राधिकार |

राज्यपाल के आदेश से,


(जान प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।

8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर/दूद/जयपुर जिला/झुंझुनू, नागौर, अनुपगढ, नीम का थाना।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(अंशुतोष कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव